उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–11
संख्या–318 / एक–11–2020–04(जी) / 2015
लखनऊ : दिनांक– 03 मई 2020

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद–162 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल ''मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष – कोविड केयर फण्ड (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2020 के नियम–2,3 एवं 14 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष – कोविड केयर फण्ड (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020

	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1– (1) यह नियमावली मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष–कोविड केयर फण्ड (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2020 कही जाएगी।	1– (1) यह नियमावली मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष–कोविड केयर फण्ड (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020 कही जाएगी।
	(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।	(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।
	(3)यह नियमावली दिनांक–04 अप्रैल, 2020 से प्रभावी मानी जायेगी।	(3) यह नियमावली तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
नियम–2, 3 एवं 14 का संशोधन	2. इस नियमावली में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, –	2. इस नियमावली में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, –
	(क) ''सरकार'' का तात्पर्य उ0प्र0 राज्य सरकार से है।	(क) ''सरकार'' का तात्पर्य उ0प्र0 राज्य सरकार से है।
	(ख) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य राज्यपाल, उ0प्र0 से है।	(ख) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य राज्यपाल, उ0प्र0 से है।
	(ग) ''समिति' का तात्पर्य नियमावली के नियम 15 में प्राविधानित समिति से है।	(ग) ''समिति' का तात्पर्य नियमावली के नियम 15 में प्राविधानित समिति से है।
	(घ) ''संस्था'' का तात्पर्य इस नियमावली के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित किसी राज्य चिकित्सा संस्थान/ स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, राजकीय चिकित्सालय तथा उ0प्र0 मेडिकल सप्लाइज़ कारर्पोरेशन, लखनऊ से है।	(घ) ''संस्था'' का तात्पर्य इस नियमावली के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित किसी राज्य चिकित्सा संस्थान/ स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, राजकीय चिकित्सालय तथा उ0प्र0 मेडिकल सप्लाइज़ कारर्पोरेशन, लखनऊ एवं **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग से है।**
	(ड.) ''फण्ड'' का तात्पर्य नियम 03 के अधीन स्थापित मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष – कोविड केयर फण्ड से है। यह फण्ड मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष का अभिन्न भाग होगा तथा इसी के नियंत्रणाधीन होगा।	(ड.) ''फण्ड'' का तात्पर्य नियम 03 के अधीन स्थापित मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष – कोविड केयर फण्ड से है। यह फण्ड मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष का अभिन्न भाग होगा तथा इसी के नियंत्रणाधीन होगा।

फण्ड की स्थापना	3. मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष – कोविड केयर फण्ड की स्थापना सम्प्रति विश्व में फैली कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश के राज्य चिकित्सा संस्थानों/स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों, राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालयों, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों तथा राजकीय चिकित्सालयों में अवस्थापना सुविधाएं तथा उपभोग्य सामग्री (Consumables) जैसा भी आवश्यक हो, को प्रदान करने व इन इकाईयों को जन–सामान्य को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु की जा रही है। धनराशि संस्था या इकाई को अथवा उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज़ कारर्पोरेशन, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। परन्तु, इस निधि की धनराशि का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर निजी क्षेत्र के एल–2/एल–3 स्तर के कोविड–19 के इलाज के लिए अधिसूचित अस्पतालों में चिकित्सा विभाग द्वारा संदर्भित कोविड–19 के मरीजों पर हुए व्यय का भुगतान PMJAY की दरों के अनुसार किया जायेगा। शर्त यह होगी कि केवल उन्हीं मरीजों के इलाज पर हुए व्यय का भुगतान अनुमन्य होगा, जो आयुष्मान भारत, PMJAY अथवा MMJAY से आच्छादित नहीं होंगे। इन अधिसूचित /अध्यवेशित मेडिकल कालेजों के लिये कतिपय सामग्री जैसे– पी0पी0ई0 किट, एन–95 मास्क आदि का क्रय उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन द्वारा किया जायेगा। कोविड–19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम हेतु चिकित्सा शिक्षा/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अलावा जिन विभागों के कर्मचारी/अधिकारी कोविड–19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम के कार्य में लगे हुए हैं तथा जिन्हें ड्यूटी के दौरान कोविड–19 के संक्रमण का खतरा हो, उनके लिये उपभोग्य सामग्री व उपकरण संबंधित विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित विभाग द्वारा अपना औचित्य सहित प्रस्ताव राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराये जा सकते हैं तथा नियमावली के नियम–15(1) में स्थापित समिति द्वारा इस पर निर्णय लिया जायेगा। विभाग द्वारा इन उपभोग्य सामग्री व उपकरणों का क्रय उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन के अतिरिक्त नियमानुसार वर्तमान में सरकार द्वारा निर्देशित क्रय प्रकिया के अनुसार किया जा सकता है।	3. मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष – कोविड केयर फण्ड की स्थापना सम्प्रति विश्व में फैली कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश के राज्य चिकित्सा संस्थानों/स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों, राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालयों, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों तथा राजकीय चिकित्सालयों में अवस्थापना सुविधाएं तथा उपभोग्य सामग्री (Consumables) जैसा भी आवश्यक हो, को प्रदान करने व इन इकाईयों को जन–सामान्य को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु की जा रही है। धनराशि संस्था या इकाई को अथवा उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज़ कारर्पोरेशन, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। परन्तु, इस निधि की धनराशि का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर निजी क्षेत्र के एल–2/एल–3 स्तर के कोविड–19 के इलाज के लिए अधिसूचित अस्पतालों में चिकित्सा विभाग द्वारा संदर्भित कोविड–19 के मरीजों पर हुए व्यय का भुगतान PMJAY की दरों के अनुसार किया जायेगा। शर्त यह होगी कि केवल उन्हीं मरीजों के इलाज पर हुए व्यय का भुगतान अनुमन्य होगा, जो आयुष्मान भारत, PMJAY अथवा MMJAY से आच्छादित नहीं होंगे। इन अधिसूचित /अध्यवेशित मेडिकल कालेजों के लिये कतिपय सामग्री जैसे– पी0पी0ई0 किट, एन–95 मास्क आदि का क्रय उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन द्वारा किया जायेगा। कोविड–19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम हेतु चिकित्सा शिक्षा/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अलावा जिन विभागों के कर्मचारी/अधिकारी कोविड–19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम के कार्य में लगे हुए हैं तथा जिन्हें ड्यूटी के दौरान कोविड–19 के संक्रमण का खतरा हो, उनके लिये उपभोग्य सामग्री व उपकरण संबंधित विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित विभाग द्वारा अपना औचित्य सहित प्रस्ताव राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराये जा सकते हैं तथा नियमावली के नियम–15(1) में स्थापित समिति द्वारा इस पर निर्णय लिया जायेगा। विभाग द्वारा इन उपभोग्य सामग्री व उपकरणों का क्रय उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन के अतिरिक्त नियमानुसार वर्तमान में सरकार द्वारा निर्देशित क्रय प्रकिया के अनुसार किया जा सकता है। **परन्तु, इस निधि की धनराशि का उपयोग आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत पंजीकृत निजी चिकित्सालयों, जिन्हें कोविड–19 के इलाज हेतु अधिसूचित नहीं किया गया है,को**

		कोविड–19 महामारी के दौरान आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाएं प्रदान करने हेतु पी.पी.ई. किट तथा एन–95 मास्क आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराने के लिए क्रय करने पर किया जा सकता है। ऐसे निजी चिकित्सालयों को उनकी मांग एवं उनके द्वारा दी जा रही आकस्मिक सेवाओं के परीक्षणोपरान्त मात्रा की संस्तुति हेतु संबंधित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायगी, जिसमें चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ–साथ जी0 एम0(डी0आई0 सी0) भी सदस्य होंगे। **उक्त पी.पी.ई. किट एवं एन–95 मास्क का क्रय आवश्यकतानुरूप सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा राज्य स्तर पर क्रय किया जायगा तथा क्रय की प्रक्रिया का निर्धारण वित्त विभाग की सहमति से किया जायगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा गठित की जाने वाली राज्य स्तरीय क्रय समिति में, क्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, विशेषज्ञों को भी सम्मिलित किया जायगा।**
	14. **मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष – कोविड केयर फण्ड** का उपभोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा– (1) परीक्षण प्रयोगशालाओं (टेस्टिंग लैब) की स्थापना हेतु, (2) आईसोलेशन वार्ड की स्थापना हेतु, (3) आई.सी.यू. बेड्स की स्थापना हेतु, (4) वेन्टिलेटर, मानीटर आदि के क्रय एवं स्थापना हेतु, (5) क्वारेन्टाइन की स्थापना हेतु, (6)पी.पी.ई (Personal Protective Equipment),NIOSH -N-95, EN-149FFP2 अथवा समकक्ष स्पेसिफिकेशन के मास्क, सर्जिकल दस्ताने, इन्फ्रारेड थर्मामीटर, थर्मल स्कैनर आदि के क्रय हेतु, (6क) परीक्षण प्रयोगशालाओं में reagent chemical से सम्बन्धित consumables. (7) कोविड–19 के मरीजों के उपचार में लगे चिकित्सा कर्मियों के अनिवार्य क्वारेन्टाइन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु, (8) ट्रेनिंग के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास	14. **मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष – कोविड केयर फण्ड** का उपभोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा– (1) परीक्षण प्रयोगशालाओं (टेस्टिंग लैब) की स्थापना हेतु, (2) आईसोलेशन वार्ड की स्थापना हेतु, (3) आई.सी.यू. बेड्स की स्थापना हेतु, (4) वेन्टिलेटर, मानीटर आदि के क्रय एवं स्थापना हेतु, (5) क्वारेन्टाइन की स्थापना हेतु, (6) पी.पी.ई (Personal Protective Equipment),NIOSH-N-95, EN-149FFP2 अथवा समकक्ष स्पेसिफिकेशन के मास्क, सर्जिकल दस्ताने, इन्फ्रारेड थर्मामीटर, थर्मल स्कैनर आदि के क्रय हेतु, (6क) परीक्षण प्रयोगशालाओं में reagent chemical से सम्बन्धित consumables. (7) कोविड–19 के मरीजों के उपचार में लगे चिकित्सा कर्मियों के अनिवार्य क्वारेन्टाइन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु, (8) ट्रेनिंग के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु,

	हेतु, (9) टेलिमेडिसिन की सुविधा की स्थापना हेतु, (10) कोविड–19 के लिए किसी भी अन्य अवस्थापना की सुविधा विकसित करने अथवा उपभोग्य सामग्री (Consumables) के क्रय हेतु जैसा कि नियम–15 में निर्दिष्ट है, समिति द्वारा आवश्यक समझा जाए। (11) इस निधि की धनराशि का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर निजी क्षेत्र के एल–2/एल–3 स्तर के कोविड–19 के इलाज के लिए अधिसूचित अस्पतालों में चिकित्सा विभाग द्वारा संदर्भित कोविड–19 के मरीजों पर हुए व्यय का भुगतान किया जायेगा। शर्त यह होगी कि केवल उन्हीं मरीजों के इलाज पर हुए व्यय का भुगतान अनुमन्य होगा, जो आयुष्मान भारत, PMJAY अथवा MMJAY से आच्छादित नहीं होंगे। (12) कोविड–19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम हेतु चिकित्सा शिक्षा/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अलावा जिन विभागों के कर्मचारी/अधिकारी कोविड–19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम के कार्य में लगे हुए हैं तथा जिन्हें ड्यूटी के दौरान कोविड–19 के संक्रमण का खतरा हो, उनके लिये उपभोग्य सामग्री व उपकरण के क्रय हेतु।	(9) टेलिमेडिसिन की सुविधा की स्थापना हेतु, (10) कोविड–19 के लिए किसी भी अन्य अवस्थापना की सुविधा विकसित करने अथवा उपभोग्य सामग्री (Consumables) के क्रय हेतु जैसा कि नियम–15 में निर्दिष्ट है, समिति द्वारा आवश्यक समझा जाए। (11) इस निधि की धनराशि का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर निजी क्षेत्र के एल–2/एल–3 स्तर के कोविड–19 के इलाज के लिए अधिसूचित अस्पतालों में चिकित्सा विभाग द्वारा संदर्भित कोविड–19 के मरीजों पर हुए व्यय का भुगतान किया जायेगा। शर्त यह होगी कि केवल उन्हीं मरीजों के इलाज पर हुए व्यय का भुगतान अनुमन्य होगा, जो आयुष्मान भारत, PMJAY अथवा MMJAY से आच्छादित नहीं होंगे। (12) कोविड–19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम हेतु चिकित्सा शिक्षा/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अलावा जिन विभागों के कर्मचारी/अधिकारी कोविड–19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम के कार्य में लगे हुए हैं तथा जिन्हें ड्यूटी के दौरान कोविड–19 के संक्रमण का खतरा हो, उनके लिये उपभोग्य सामग्री व उपकरण के क्रय हेतु। (13) **आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पंजीकृत निजी चिकित्सालयों जिन्हें कोविड–19 के इलाज हेतु अधिसूचित नहीं किया गया है, को महामारी के दौरान आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के माध्यम से पी0पी0ई0 किट तथा एन–95 मास्क आवश्यकता पड़ने पर क्रय हेतु।**

आज्ञा से,

03/4/2020

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–11

.....

संख्या– 323 /एक–11–2020–04(जी)/2015
लखनऊ : दिनांक :03 मई, 2020

अधिसूचना दिनांक 03 मई 2020 के द्वारा प्रख्यापित मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष–कोविड केयर फण्ड (तृतीय संशोधन) नियमावली 2020 की एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0।
4. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0।
6. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज,।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
9. निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्रीगण, उ0प्र0 को मा0 मंत्रीगण के सूचनार्थ।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
11. उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, पिकप भवन, गोमती नगर लखनऊ।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5।
14. राजस्व अनुभाग–10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Sanjay

(संजय गोयल)
सचिव।